

आवेदन हेतु पात्रता

कोर्स हेतु : 12वीं या स्नातक स्तर पर किसी भी विषय से न्यूनतम 48% से उत्तीर्ण
और D.El.Ed. / बीएसटीसी/बी.एड./बी.एल.एड.

आयु : 1 जनवरी, 2024 को 20 वर्ष से 28 वर्ष

बोध शिक्षा समिति : परिचय

'बोध' पिछले 35 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। 'बोध' जयपुर, अलवर एवं टोंक ज़िले में 36 सामुदायिक बोधशालाओं के द्वारा समाज के वंचित एवं पिछड़े वर्गों से आने वाले बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं समतामूलक शिक्षा सुनिश्चित करने वाले विद्यालयों का संचालन कर रहा है। ये बोधशालाएँ हमारे लिए हमारे कार्य की केन्द्र बिन्दु हैं और शिक्षा की जटिल समस्याओं पर कार्य करके सीखने का मुख्य माध्यम भी हैं।

'बोध' को खास तौर पर प्राथमिक कक्षाओं में सीखने-सिखाने की प्रक्रियाओं में नवाचार के लिए पूरे देश में जाना जाता है। बोध सीधे तौर पर और विभिन्न सहभागी कार्यक्रमों के माध्यम से अब तक लगभग 6 लाख बच्चों तक पहुँच सका है।

पिछले 20 वर्षों में हमने भारत की कई राज्य सरकारों और खास तौर पर राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में बड़े स्तर पर शिक्षा में गुणात्मक बदलाव के लिए कार्य किया है। साथ ही देश के विभिन्न भागों में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही लगभग 150 शैक्षिक संस्थाओं को तकनीकी समर्थन प्रदान किया है।

सम्पर्क हेतु पता

बोध क्षेत्रीय कार्यालय : प्रतापगढ़ रोड, थानागाज़ी, अलवर



मदद की आवश्यकता होने पर कॉल करें :

फोन : 9116046019 (प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे के मध्य)



BODH SHIKSHA SAMITI



फाउंडेशनल एज्यूकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम 2024-25 बैच-IIInd

आयशर ग्रुप फाउंडेशन द्वारा
शिक्षक पहल कार्यक्रम के अन्तर्गत समर्थित

बच्चों की शिक्षा के बारे में व्यापक समझ हासिल करने और
एक सुयोग्य नवाचारी शिक्षक के रूप में विकसित होने का
उत्तम अवसर।



ट्रेनिंग प्रोग्राम का परिचय

प्रस्तावित ट्रेनिंग प्रोग्राम बोध शिक्षा समिति की एक अनूठी पहल है। इसके माध्यम से आप एक गंभीर, प्रगतिशील और नवाचारोन्मुखी शिक्षक के रूप में स्वयं को विकसित कर सकते हैं। हमारा मानना है कि अच्छे, संवेदनशील शिक्षक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। सदैव ही हर समाज में अच्छे और प्रभावशाली शिक्षकों का बहुत महत्त्व रहा है, क्योंकि वह समाज में बदलाव की धुरी होते हैं।

भविष्य में हमारे देश में प्री-स्कूल एवं अर्ली-स्कूल के शिक्षकों की बड़ी संख्या में माँग रहेगी। क्योंकि 'नई शिक्षा नीति-2022' में भारत सरकार ने सन् 2030 तक सभी बच्चों के लिए कक्षा-3 उत्तीर्ण करने से पूर्व ठीक से पढ़ना-लिखना एवं प्रारंभिक गणित सीखने का लक्ष्य रखा है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति में, ज़मीनी स्तर पर बड़ी संख्या में सुप्रशिक्षित शिक्षकों को तैयार करने की बात कही गई है। हमारे यहाँ अब तक चले आ रहे शिक्षक-प्रशिक्षण कोर्स सही मायनों में संवेदनशील व योग्य शिक्षक तैयार करने में विफल रहे हैं। बोध का प्रशिक्षण कार्यक्रम आपको एक मौका प्रदान करता है कि आप सही मायनों में एक शिक्षक के रूप में स्वयं का विकास कर सकें; शिक्षा के क्षेत्र में कार्य का प्रभावी अनुभव प्राप्त कर सकें और समाज में बदलाव लाने में अपना योगदान दे सकें।



प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध 'सर्टिफिकेट कोर्स'

प्राइमरी एज्यूकेशन सर्टिफिकेट कोर्स


यह कोर्स मुख्य रूप से प्राइमरी कक्षाओं में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधा पर आधारित है। कोर्स बच्चों के बहुआयामी विकास को समझने एवं उनके अंदर छुपी संभावनाओं को मूर्त रूप देने की प्रक्रियाओं/कौशल से अवगत करायेगा।

कोर्स की अवधि : 13 माह

सत्र 2024-25 में कोर्स केवल महिलाओं के लिये हैं।



प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम के कुछ प्रमुख आयाम



कोर्स की अवधि का विभाजन

कोर्स को दो चरणों में विभाजित किया गया है।

प्रथम चरण - बोध परिसर में चार माह का आवासीय (निःशुल्क) सैद्धान्तिक प्रशिक्षण।

प्रथम चरण के उपरांत

द्वितीय चरण - शिक्षक पहल कार्यक्रम के अंतर्गत अलवर ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित सामुदायिक बोधशालाओं में 9 माह की फील्ड इंटर्नशिप। (stipend सहित)

सफलतापूर्वक कोर्स को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को 'कोर्स ग्रेज्युएशन सर्टिफिकेट' प्रदान किए जायेंगे।

प्रशिक्षण भत्ते (Stipend) का विवरण

आरंभिक चार माह के प्रथम चरण के दौरान किसी प्रकार का प्रशिक्षण भत्ता देय नहीं होगा।

प्रशिक्षण के इस चरण में प्रशिक्षुओं को निःशुल्क आवासीय व्यवस्था (रहना एवं खाना) संस्था द्वारा प्रदान की जाएगी। सैद्धान्तिक प्रशिक्षण का चरण पूर्ण करने के उपरांत, फील्ड इंटर्नशिप की 9 माह की अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं को निम्नानुसार stipend देय होगा।

प्राइमरी एज्यूकेशन सर्टिफिकेट कोर्स के प्रशिक्षुओं को रुपये 10000/- प्रतिमाह।

नोट : प्रशिक्षण के दूसरे चरण - फील्ड इंटर्नशिप की अवधि में निःशुल्क आवासीय एवं आवागमन सुविधाएँ प्रदान नहीं की जाएंगी। इस चरण में उनके एवज में प्रशिक्षुओं को stipend राशि देय होगी।